

स्पीड पोस्ट

संख्या-6/एफ1-305/16 श्र0सं0-

108

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सहायक श्रमायुक्त, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) ।

पटना, दिनांक:- 28-11-16

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-  
उपशीर्ष -0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011030103) के  
अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में  
बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू  
वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त ₹ 3000/-की दर से सभी 05 बाल श्रमिकों के  
लिए कुल राशि ₹ 15,000 (₹ पन्द्रह हजार) मात्र निधि का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार किया जाता  
है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 एवं  
वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से  
अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा  
दी जाय ।
5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

28/11/16  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0-

108

पटना, दिनांक

28-11-16

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/11/16  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0-

108

पटना, दिनांक

28-11-16

\*स्पीड  
पोस्ट

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित  
प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /\*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2  
सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त, (शोध) एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-306 (श्रम पक्ष) क्र.सं. दि.-07.  
10.16 के आलोक में)/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-6, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी  
शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

28/11/16  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड पी 2230011030103) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक निमित्त निधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	बच्चे की संख्या	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01) ₹ 2300/- राशन एवं ₹ 500/-वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	दवा भण्डार इकाई (21 02) विमुक्ति के समय दवा हेतु- ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	आहार/पथ्य (21 03) विमुक्ति के समय भोजन /नास्ता हेतु ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक श्रमायुक्त पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	05	14000	500	500	15000
कुल योग		05	14000	500	500	15000

कुल आवंटित राशि ₹ 15,000 ( ₹ पन्द्रह हजार) मात्र ।

श्रम कल्याण विभाग  
 न. नं. 103/26  
 दिनांक 05 मार्च 2017